सं. डी. 17016/10/2009.प्रशा.।।।भारत सरकारगृह मंत्रालय****

नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्लीदिनांक: 31.07.2009

सेवा मेंमैसर्स फार्चूना इम्पेक्स पी टी ई लिमिटेड, 12-डी, हैरिंगटन मैंशनस, 8, हो चि मिन्ह सारणी, कोलकाता-700071

विषय: इस मंत्रालय के उपयोग हेतु बायोमैट्रिक आधारित उपस्थिति निगरानी प्रणाली मॉडल नं. माइक्रोबेन बायो की खरीद तथा उसे स्थापित किया जाना।

प्रिय महोदय,

मुझे ऊपर उल्लिखित प्रणाली के लिए आपके कोटेशन के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय में उपुर्यक्त प्रणाली को स्थापित किए जाने के लिए आपके कोटेशन को अनुमोदित कर दिया गया है। अतः आप तत्काल निम्नलिखित सामग्रियों/मदों की आपूर्ति करें तथा इसे मंत्रालय में स्थापित करें :-

क्र.सं.	मदों का नाम	मात्रा	लागत प्रति यूनिट	लागत रु. में
1.	बैटरी सहित माइक्रोबेन बायो मशीन(24 घंटे बैक-अप) **(काम्बोफिंगर प्रिंट रीडर सह कान्टेक्ट लेस स्मार्ट कार्ड रीडर आधारित टर्मिनल वीजैंड आउटपुट सहित)**	15	16,000/-	2,40,000/-
2.	टाइम ऑफिस साफ्टवेयर	एक	15,000/-	15,000/-
3.	काम्प्रो_एक्स पी(कांफिग्रेशन एंड डेट डाइनलोडिंग)	एक	5,000/-	5,000/-

-2-

4.	स्मार्ट आई. डी. कार्ड (मेमरी 1 के बी)	1800	50/-	90,000/-
5.	संस्थापन प्रभार	सभी तीनों भवनों में पूरी प्रणालियां	---	37,500/-
			कुल लागत रु. में	3,87,500/-

+कर/मूल्य
वर्धित कर

2. आपसे अनुरोध है कि तीनों भवनों अर्थात् नोर्थ ब्लॉक, जैसलमेर हाउस और लोक नायक भवन में उपुर्यक्त प्रणालियां स्थापित करें और नामांकन तथा इस मंत्रालय के कार्मिकों को प्रशिक्षण के लिए मानव शक्ति मुहैया कराएं। आपसे यह भी अनुरोध है कि इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक सप्ताह के भीतर डी डी/बैंक गारंटी के रूप में आहरण एवं संवितरण अधिकारी, रोकड़-।, गृह मंत्रालय के पक्ष में 25,000/- रु. की जमानत राशि भी जमा कराएं।

3. निबंधन एवं शर्तों को यथा समय अंतिम रूप दिया जाएगा।

4. उपर्युक्त सामग्री कृपया इस मंत्रालय में कक्ष सं. 2, नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में पहुंचाई जाए। प्राप्त सामग्री के प्रमाणस्वरूप एक रसीद सामग्रियों की वास्तविक डिलेवरी हो जाने पर जारी की जाएगी।

भवदीय,

(वी.के. विधानी)अनुभाग अधिकारी

गृह मंत्रालय में बायोमैट्रिक आधारित उपस्थिति निगरानी प्रणाली की आपूर्ति/संस्थापना के संबंध में निबंधन एवं शर्तें।

1. आपूर्तिकर्ता द्वारा इन उपकरणों को गृह मंत्रालय द्वारा बताए गए विशिष्ट स्थानों पर किया जाएगा।
2. सभी मशीनें फिंगर प्रिंट से युक्त डाटो बेस से सुसज्जित/जुड़ी होंगी।
3. वारंटी अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ता को सहायता और प्रशिक्षण से संबंधित सभी हार्डवेयर/साफ्टवेयर मुहैया कराने होंगे।

4. मशीन में आई किसी भी खराबी/समस्या को शिकायत दर्ज किए जाने के 24 घंटे के भीतर आपूर्तिकर्ता द्वारा ठीक किया जाना होगा।
5. शिकायत दर्ज कराने के लिए आपूर्तिकर्ता को सभी सर्विस इंजीनियरों के नाम, उनके दूरभाष/मोबाइल नं. सहित देने होंगे।
6. आपूर्तिकर्ता को दूरभाष सं. सहित दिल्ली अथवा निकट के स्थानों पर स्थित स्थानीय कार्यालयों/प्रधान कार्यालय के पते गृह मंत्रालय को उपलब्ध कराए जाने होंगे।
7. आपूर्तिकर्ता द्वारा नए कर्मचारियों के प्रशिक्षण, नामांकन, नाम हटाए जाने, रिपोर्ट तैयार किए जाने आदि की व्यवस्था की जाए।
8. जब कभी प्रणाली की मरम्मत विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर स्थल पर न की जा सके तो कंपनी के पास पूर्वानुमोदन प्राप्त करके उपकरण को अपने कार्यशाला परिसरों में ले जाने तथा मंत्रालय को वैकल्पिक उपकरण मुहैया कराने का विकल्प होगा। इस मंत्रालय के उपकरण की हर हाल में 10 दिन के भीतर मरम्मत करनी होगी। इसे बदलना होगा और इस मंत्रालय को लौटाना होगा। फर्म अपने स्वयं की परिवहन की व्यवस्था करेगी जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
9. अधिकतम स्वीकार्य समयावधि किसी भी तरीके से शिकायत दर्ज कराने के समय से, अवकाशों को छोड़कर, एक दिन होगी। यदि कंपनी इसमें निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं कर पाती है तो उस पर प्रति मशीन के हिसाब से प्रत्येक कार्य दिवस/प्रति निवारक अनुरक्षण रिपोर्ट 50 रु. का जुर्माना लगाया जाएगा।

10. **सभी मशीनों के लिए तीन महीने में एक बार** कंपनी द्वारा निर्धारित निवारक अनुरक्षण किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट तिमाही समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर प्रशासन-।।। अनुभाग, गृह मंत्रालय को प्रस्तुत करनी होगी। यदि कंपनी समय पर पी एम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाती है तो पैरा (9) में उपबंधित दंड खण्ड लागू होगा।
11. कंपनी के कर्मचारी गृह मंत्रालय के परिसरों में सभी सुरक्षा विनियमों का पालन करेंगे।
12. इस संविदा के अंतर्गत उठने वाले किन्ही प्रश्नों, विवाद अथवा मतभेद पर गृह मंत्रालय और कंपनी के बीच चर्चा की जाएगी ताकि कोई सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला जा सके।

असहमति की स्थिति में गृह मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा और यह कंपनी पर बाध्यकारी होगा।

13. सभी विवाद दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में निपटाए जाएंगे।
14. आर्डर का भुगतान प्राप्त करने से पूर्व कंपनी मशीन के प्रतिष्ठापन की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक वैध, आहरण एवं संवितरण अधिकारी (रोकड़-I), गृह मंत्रालय के पक्ष में डी डी/बैंक गारंटी के रूप में 25,000/- रु. की निष्पादन जमानत राशि जमा करेगी।

(एन. के. अरोड़ा)अवर सचिव, भारत सरकार